जनगर्जन

वर्ष 26 अंक 4 मासिक नई दिल्ली दिसम्बर 2011 विक्रमी संवत्-2068 प्रधान संपादकः देवब्रत बिश्वास,
वार्षिक-शुल्कः 60रुपये

किसानों की आत्महत्या अबाधगति से जारी: राष्ट्र के लिये शर्म का विषय

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

हमारे देश का संपूर्ण कृषक समुदाय गहरे संकट से गुजर रहा हैं। हमारे देश का किसान अपने समस्त संशाधनों को कृषि कर्म में झोक देता है। यहाँ तक कि ऊँचे दर पर कर्ज भी लेता है और अपनी पूरी मेहनत के बदौलत प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादन करता हैं परन्तु फिर भी अपनी लागत के अनुपात में उसे कुछ भी नहीं मिलता हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। यही नहीं यदि किसी कारण से जैसे कम वर्षा इत्यादि उत्पादन में गिरावट आती हैं तो इसकी मार भी किसान को ही झेलनी पड़ती हैं। इस तरह उसके ऊपर दोहरा आक्रमण होता हैं और वह आत्महत्या करने के लिये बाध्य हो जाता हैं। दुर्भाग्य की बात है कि लम्बे समय से कृषक समुदाय इस दोहरी मार को झेल रहा हैं पर सरकार के कान पर जूँ नहीं रेंग रही हैं। पूरे देश के लिये यह शर्म का विषय हैं।

किसानों की आत्महत्या के आँकड़े एक बेहद दु:खद तस्वीर उजागर करते हैं। किसानों की आत्महत्या आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्यों में हो रही हैं। जिनमें इन राज्यों में सबसे ज्यादा घटनायें विगत 8 वर्षों में हुई हैं। वर्ष 2003 से 2010 तक आत्महत्या के 40,804 मामले सामने आये। यदि 16 वर्ष के अंतराल में आत्महत्या की घटनाओं को देखा जाये तो वर्ष 1995 से 2010 तक लगभग ढाई लाख किसनों ने आत्महत्या की हैं। इस विषम परिस्थिति का एक और दु:खद पक्ष है। आत्महत्या के इस दौर से पहले जब किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था तब अपनी फसल को जला देने की घटनायें वे करते थे। हताश किसान कॉटन, धान,जूट आदि की फसलें जला देते हैं। सोने जैसे किमती उत्पाद जैसे आलू, टमाटर इत्यादि को बाहर फेंक देते हैं। यह पूरे देश के लिये दु:खद स्थिति हैं और सरकार एक मूक दर्शक हैं।

इस परिस्थिति की विवेचना करते समय हम सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि उत्पाद वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे जूट के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य 1655 प्रति क्विंटल है। यदि इसके उत्पादन में लागत पर ध्यान दे तो उसका न्यूनतम मूल्य 2100 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिये। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1080 रुपया प्रति क्विंटल है जबकि ग्रेड ए-टाईप ये 1110 रुपया प्रति क्विंटल हैं। जबकि सामान्य टाईप के धान के उत्पादन में लागत 920 रुपये प्रति क्विंटल आती हैं और पैकिंग के साथ-साथ ढुलाई का खर्च जोड़ देने पर 980 रुपया प्रति क्विंटल हो जाता हैं। फिर किसान का मुनाफा कैसे बन पायेगा ?

एग्रीकल्चरल फारमर कमीशन के अध्यक्ष प्रो. स्वामीनाथन ने काफी पहले कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करते समय लागत में 50 प्रतिशत किसान की कीमत जोड़ देने की सिफारिश की थी। दुर्भाग्य की बात हैं कि अभी तक सरकार ने इस आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया हैं। इस विषम कृषक संकट से उबरने के लिये मैं (देवब्रत बिश्वास) भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि प्रो. स्वामीनाथन द्वारा सुझाये प्रस्ताव को स्वीकार करें।

हाल में, पश्चिम बंगाल में एक अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हुई हैं। कृषि उत्पाद के बदले मूल्य देने के लिये सरकार ने एक नया तरीका निकाला हैं जिसके अनुसार मूल्य अदायदी किसानों को चेक के द्वारा हो रही हैं। गरीब किसानों को इस तरीके से काफी तकलीफ हो रही हैं। क्योंकि चेक को नगद में परिवर्तित करने के लिय लम्बे समय तक उन्हें प्रतिक्षा करनी पड़ती हैं। इसलिये इस तरीके को बदल देना चाहिये। कुछ अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण कदम भी उठाने जाने चाहिये। सारांश में मैं केन्द्र सरकार से कुछ महत्त्वपूर्ण अनुरोध करता हूँ कि (1) उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के दुष्प्रभाव को प्रभावहीन करने के लिये किसानों को छूट दी जाये; (2) किसानों को राष्ट्रकृत बैंकों और को-ऑपरेटिव बैंकों से अत्यन्त न्यूनतम दर पर कर्ज दिया जाये; (3) कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने को राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रदान की जाये।

किसान समुदाय अपने उत्पाद के एवज में उचित मूल्य नहीं हासिल कर पा रहा हैं, वह कर्ज के जाल में उलझता जा रहा हैं। यह कर्ज का जाल उसके गले की फांस बन जा रही हैं और आत्महत्याओं के दौर थम नहीं रहे हैं। निजी साहूकारों से अत्यन्त ऊँचे दरों पर कर्ज लेकर उसे

चुका पाने में वे असमर्थ हो जा रहे हैं और आत्महत्या के सिवा उन्हें कोई रास्ता नहीं सुझ रहा हैं। कृषि क्षेत्र में चल रहे इस भीषण संकट से किसानों को उबारने के लिये भारत सरकार का दायित्व बनता है और इस दायित्व से वह मुँह मोड़े हुये हैं।

संसद में ठहराव क्यों?

संसद का शीतकालीन सत्र जो 22 नवंबर 2011 से शुरू हुआ और अपने प्रारंभ से ही यह सत्र नौ बहुमूल्य दिन गवां बैठा क्योंकि विपक्षी पार्टियों और सत्ताधारी दल के नेताओं में बढ़ती कीमतें मुद्रा स्फिति, कालाधन, भ्रष्टाचार और खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विषय पर तिखी नोक-झोंक होने लगी और संसद की कार्यवाही में बाधा खड़ी हो गयी। ऐसी परिस्थिति पिछले शीतकालीन सत्र में भी हुई थी। संसद का न चल पाना एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग हैं। बिना किसी विवाद के हम सभी लोगों का कर्त्तव्य हैं कि पूरे वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का संसदीय कार्यकाल हर हाल में होना चाहिये।

हाल ही में मीडिया का एक भाग सरकार के साथ और संप्रग के घटक दलों के साथ जुड़ गया हैं और संसद में उत्पन्न गतिरोध का दोष महज विपक्षियों पर मढ़ दे रहा हैं। यदि घटनाक्रम की सूक्ष्म विवेचना की जाये तो यह बात साबित हो जायेगी कि इस गतिरोध की जड़ सत्ताधारी दल हैं और सरकार इस तरह के अवांछनीय गतिरोध को अपनी इच्छाशक्ति से रोक सकती हैं। गत् वर्ष बड़े-बड़े भीमकाय घोटालों जैसे राष्ट्रकुल खेलों, मुम्बई के को-ऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट और इन सबसे भारी 2जी स्पेक्ट्रम के मामले गूँज रहे थे और संसद थम गई थी। 2जी घोटाले में विपक्षी दलों ने संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जाँच कराने जाने की न्यायोचित मांग किया था। हठधर्मिता के कारण सरकार इस मांग को ठुकराती रही और लम्बे गतिरोध के बाद इस मांग को स्वीकार किया। इस मांग को सही समय पर स्वीकार कर लेने से संसद का बहुमूल्य का समय बचाया जा सकता था और जिम्मेवारी भारत सरकार की थी। इस घटना के आधार पर संसद में आने वाले ठहराव के लिये कौन है?समझा जा सकता हैं। उक्त संयुक्त संसदीय समिति अभी भी कार्य नहीं कर रही हैं और कुछ मंत्रिगण, सांसदगण और सत्ताधारी दल के नेता, कई अधिकारी जिनके साथ कुछ बाहरी लोग गिरफ्तार तो किये गये और जेल में बैठा दिये गये। यह सारी घटनायें इस घोटाले की न्यायोचित जाँच के लिये विपक्षी पार्टियों की संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग को जायज ठहराती हैं। क्यों सरकार ने प्रारंभ में विरोध किया था और समस्या को गंभीर बनाया था?एक संवेदनशील संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार सत्ताधारी और विपक्षी दलों दोनों में लोच होना चाहिये।

दुर्भाग्यवश एक दूसरे के प्रति ऐसी समझदारी का अभाव वर्तमान शीतकालीन सत्र में दिखाई दिया। बिल्कुल आरंभ से ही विपक्षी दलों ने ज्वलंत विषयों जैसे बढ़ती महँगाई पर विस्तृत चर्चा की मांग की, जिसका अंत सरकार वोटिंग के द्वारा करके विपक्ष के द्वारा सुझाये गये कुछ विशिष्ट सुझावों को अनदेखा कर आगे बढ़ना चाहती थी। विपक्ष के सुझावों को अनदेखा कर देने से बहस निरर्थक साबित हो जाती परन्तु जब ऐसा नहीं हुआ तो सरकार ने गतिरोध उत्पन्न कर दिया। इस बीच में मंत्रिमण्डल ने अत्यन्त विवादास्पद निर्णय लेते हुये खुदरा व्यापार में मल्टीपल-ब्राण्ड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 51 प्रतिशत तथा सिंगल-ब्राण्ड में शत् प्रतिशत करने का निर्णय ले लिया। वामदलों के साथ पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के विरुद्ध हो गया और खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को घातक बताया और कहा कि इससे करोड़ों खुदरा व्यापारियों के साथ-साथ गरीब किसानों को आघात पहुँचेगा। परन्तु हठधर्मी सरकार अपने रवैये पर अड़ी रही और इस मामले में कदम पीछे खींचने से मना करती रही। नतीजा एक बार फिर संसद के गतिरोध के रूप में सामने आया। कई चरणों में बातचीत कर गतिरोध दूर करने का प्रयास हुआ परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। एक लम्बे गतिरोध के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे और अपना निर्णय निम्नलिखित रूप से सुनाया:

"खुदरा व्यापरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 51 प्रतिशत के निर्णय को आगे चलकर सभी पक्षों से सहमति बनाने तक फिलहाल स्थगित किया जा रहा हैं।" सभी पक्षों ने सरकार के अनुसार राजनैतिक पार्टियां और राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं।

ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार के इस कदम के बाद संसद चलना शुरू हुई सांसदगण अपने संसदीय कार्यों में 11 बजे से लेकर 7 बजे सायं तक व्यस्त हो गये जिसमें लंच ब्रेक भी नहीं रहा। विभिन्न स्थायी समितियों की बैठकें और अन्य हाऊा कमिटियों की बैठकें साथ-साथ चलने लगी। दुर्भाग्य तो यह हैं कि मीडिया ने इस परिवर्तन को स्वागत के नजरिये से नहीं देखा। हम अभी भी विश्वास करते हैं कि सरकार और विपक्ष में स्वस्थ्य सहयोग की भावना होनी चाहिये जिनमें हम विजयी या वह पराजित जैसा भाव नहीं होना चाहिये। इस तरह हम जनता के हित में कार्य करने वाले संसदीय प्रणाली का विकास कर सकते हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजबूतीकरण के साथ मजबूत लोकपाल समय की आवश्यकता है।

देश में व्याप्त भ्रष्टाचार जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा हैं। यह भ्रष्टाचार जो मूलत: पूँजीवादी-साम्राज्यवादी सत्ता की कोख से जन्मा है और इस पर पूरी तरह से नियंत्रण व्यवस्था के परिवर्तन पर ही संभव है। फिर भी हाल में लोकपाल की व्यापक चर्चा चल रही हैं जो ध्यान देने योग्य है। पिछले कुछ महिनों से समाजसेवी अन्ना हजारे ने सशक्त लोकपाल की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है और इसके लिये अनशन भी किया। परंतु अन्ना हजारे और उनके साथ जुड़े मुख्य आधे दर्जन लोग जैसे - अरविन्द केजरीवाल, किरण वेदी इत्यादि की संपूर्ण गतिविधियों को देखकर कुछ आपत्ति जताई जा सकती हैं। इनके संवादों को सुनकर ऐसा लगता है कि यही मुट्ठीभर लोग सही सोचते है जिनकी सोच इतनी ऊँची है जिसके समक्ष संसद भी बौनी नजर आती हैं। टीम अन्ना ने अपने कुछ महिनों के आंदोलन में स्वयं को स्थापित कर जनता के बीच में ऐसी छवि गठित करना शुरू कर दिया है जिसे देखकर लगता है कि 120 करोड़ की जनता के वास्तविक नुमाईंदे ये ही हैं बाकि अन्य राजनैतिक दल और यहाँ तक कि संपूर्ण संसद भी उनके समक्ष छोटी है। बाहर से एक गैर संवैधानिक दबाव बनाकर अपनी बात मनवाने का इनका तरीका अस्वीकार्य है।

यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि प्रमुख राजनैतिक दलों ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया है। पिछले तीन दशक से लोकपाल का मुद्दा संसद में उठता रहा परन्तु इस पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई। लाख कमियां है फिर भी जिस तरह का लोकतंत्र हमारे यहाँ है वह भले ही पूँजी के लिये है परन्तु इस सीमित लोकतंत्र में भी क्रिया और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के स्थान मिला करते हैं। बेशक इस लोकतंत्र को जनता का लोकतंत्र बनाने के लिये कार्य अतिआवश्यक है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी सीमायें है फिर भी हमें इसकी प्रतिष्ठा को बचा के रखना जरूरी है। इस टीम अन्ना ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे राजनैतिक प्रक्रिया और तंत्र दोनों की अवहेलना सामने प्रकट हो रही हैं जो अपने आप में घातक है। यही नहीं सत्ताधारी राजनैतिक दलों ने भी गलत रवैया अपना रखा है। लोकपाल के मुद्दे के अलावा अन्य सभी मुद्दों पर जो समय सीमा संसद में बहस के लिये मिला करती थी उसको धीरे-धीरे घटाते जाने का क्रम जारी है। आर्थिक बुनियादी विषयों पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समझौते बिना बहस के संसद के बाहर ही हो जाते हैं। संसद की रूचि तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, खुली बाजार व्यवस्था, कारपोरेट के हित साधन जैसी समस्याओं पर चर्चा करने में रहती है। यह भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश में तरह-तरह के कानून बने हुये हैं जिनका समुचित क्रियान्वयन कभी नहीं होता। इस तरह संसद में जनता के हित की बात न करना उसकी समय सीमा का कम होना, टीम अन्ना जैसे लोगों का संवैधानिक दायरे से ऊपर उठकर बात करना देश के लोकतांत्रिक भविष्य को गलत राह पर ले जा रहा हैं। यह प्रवृत्ति बढ़ती रही तो खतरनाक नतीजे सामने आयेंगे।

इस देश में जनता हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होती रही है। हम बात जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन की करे या बोफोर्स मुद्दे पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के छेड़े अभियान की करे, जनता ने पूरा साथ दिया और वाम ताकतों और वामपंथी पार्टियों ने इन दोनों आन्दोलनों में पूरा साथ दिया। परन्तु इन दोनों ही महत्त्वपूर्ण आन्दोलनों के नतीजे में महज सत्ता परिवर्तन हुआ न कि व्यवस्था परिवर्तन। इस तरह महान जनता की आकांक्षा अधूरी रह गई।

एक मजबूत लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव होने चाहिये।

1. चर्चा का विषय चल रहा हैं कि प्रधानमंत्री का पद लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिये या नहीं। कुछ विषयों में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिये (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति आदि)। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने संबंधित और प्रक्रियागत (जैसे प्रधानमंत्री से संबंधित आरोपों की पड़ताल लोकपाल की पूर्ण बैंच द्वारा ही की जानी चाहिये, आदि) सावधानियों के अनेक सुझाव आए हैं। लेकिन फारवर्ड ब्लॉक ने सुझाव दिया हैं कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में होना चाहिये और जिन विषयों पर 'सावधानियां' दी गई हैं उस विषय में सरकार ठोस सुझाव पेश करे और उसके बाद ही इस पहलू पर कोई ठोस राय सूत्रबद्ध करे। वैसे भी संदेहास्पद व्यापारिक लेन-देन में प्रधानमंत्री का कार्यालय का किसी भी तरह से हाथ होने को लोकपाल के विचार क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।
2. भ्रष्टाचार पर कारगर तरीके से अंकुश लगाने के लिये, फारवर्ड ब्लॉक मांग करता हैं कि एक राष्ट्रीय नागरिक आयोग का गठन किया जाना चाहिये जो न्यायपालिका में नियुक्ति, तबादले तथा भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सभी मामलों को देखे।
3. भ्रष्टाचार अंकुश लगाने के लिये चुनाव सुधार बहुत जरूरी है। चुनावों में धन-बल के उपयोग को अगर पूरी तरह से खत्म भी किया जा

सके तब भी उसे सीमित जरूर कर दिया जाए।

4. आम जनता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिये कारगन शिकायत निराकरण तंत्र बनना चाहिए।

5. लोकपाल के दायरे में सभी ग्रेडों के अधिकारियो को शामिल करने चाहिये। इसके साथ-साथ सभी ग्रेडों के राज्य कर्मचारी भी आने चाहिये।

6. लोकपाल के अपनी जांच की प्रक्रिया होनी चाहिये जिसका दायरा भ्रष्टाचार निरोधक कानून आदि तक ही हो। इसके अंतर्गत सीबीआई को भी भ्रष्टाचार संबंधी सभ मामलों के लिये लोकपाल के अधीन रखा जाना चाहिये या उसके लिये एक स्वतंत्र जाँच एजेंसी का गठन किया जाना चाहिये। लेकिन लोकपाल को किसी भी कारगर जाँच एजेंसी व तंत्र के अभाव का रोना रो कर नकारा नहीं बना देना चाहिये।

7. सीबीआई के निदेशक का चयन एक स्वतंत्र कमेटी से कराया जाना चाहिये और ऐसी ही कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन के लिए भी बनायी जानी जाए। लोकपालों के गठन में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

8. इनकी नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा विचार के लिए नामों का पैनल तैयार करने के लिये जाँच कमिटी का गठन अनिवार्य कर देना चाहिये।

9. भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए 1988 के भ्रष्टाचार उन्मूलन कानून के तहत भ्रष्टाचार की परिभाषा में संशोधन होनी चाहिये। इस कानून के दायरे में कुछ सामान्य कृत्य ही इसके दायरे में आते हैं, किन्तु आकस्मिक कृत्य नहीं है। जिससे मोजूदा नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर जानबूझकर नाजायज लाभ देते हैं या नाजायज लाभ हासिल करते हैं, वही इसके दायरे में आते हैं। इसके तहत उन कृत्यों तथा निर्णयों को भी लाया जाना चाहिये जिनके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता हैं।

10. सांसदों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता तथा संसद में वोट करने के लिये संरक्षण प्राप्त है। लेकिन इसे भ्रष्टाचार के उन मामलों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसमें सांसद शामिल होते है। अतः संविधान की धारा 105 में संशोधन करके कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रकार से आपराधिक मुकदमे और घूस लेनेवाले संसाद को छोड़ देने जैसी अतर्कसंगत स्थिति से नहीं बचा जा सकेगा। जैसे पी वी नरसिंह राव की सरकार में अविश्वास प्रस्ताव के समय कुख्यात जे एम एम घूसखोरी मामले में हुआ था। इसका और जघन्य उदाहरण वर्ष 2008 में भारत-अमेरीका परमाणु करार के समय, विश्वास प्रस्ताव के वक्त नोट के लिए वोट घोटाले में सामने आया था, जिसने संसद को हिलाकर रख दिया था।

11. भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को और प्रभावी बनाने के लिये लोकपाल को उन मामलों की जाँच के अधिकार दिए जाएं, जिनमें कारपोरेट घराने शामिल हों और इसके बाद मामलों की जाँच के अधिकार दिए जाएं, जिनमें कारपोरेट घराने शामिल हों और इसके बाद भ्रष्ट तरीके से हासिल किए गए ठेके, लाईसेंस वगैरह निरस्त करने सिफारिश की जानी चाहिए। ऐसी कंपनियों को काली सूची में डालने की सिफारिश करने और खजाने को हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए ठोस कदम सुझाने का अधिकार भी लोकपाल को होना चाहिये। सरकारी संरक्षण तथा फण्ड पानेवाले तमाम संगठनों तथा एसोसिएशनों को भी इसके तहत लाया जाना चाहिये।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक समेत सभी समाजवादी एवं वामपंथी सोच की जनता एक विस्तृत पैकेज की मांग की करती हैं जिसमें एक मजबूत लोकपाल के साथ सिटीजन चार्टर (जिसमें सबकी जवाबदेही निर्धारित हो), न्यायिक सुधार और चुनाव प्रक्रिया में सुधार जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर स्पष्ट राय के साथ अविलम्ब कानून बने।

चित्त बसु मेमोरियल लेक्चर

स्व० चित्त बसु, पूर्व महासचिव अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, प्रख्यात संसद सदस्य के 86वें जन्मदिवस के अवसर पर चित्त बसु रिसर्च फाउण्डेशन ने एक मेमोरियल लेक्चर का आयोजन नलीनी गुहा हॉल, हमेन्ता बसु भवन, कोलकाता में 25 दिसम्बर 2011 को सायं 4 बजे किया।

प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो. डॉ. रतन खासनोबिस ने 'खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' पर अपना वक्तव्य दिया।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं अखिलन हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के सबसे वरिष्ठ नेता साथी अशोक घोष ने पूरे समारोह की अध्यक्षता की।

शहीदों की शहादत शाश्वत प्रेरणा का अजस्र स्रोत: बिस्मिल, अशफाक और अन्य महान शहीदों की शहादत को सलाम

प्रभाशंकर मिश्र

यह बहुत ही शर्म का विषय है कि हमारे नेताओं को भारत के महान सपूतों को सलाम करने और उनकी शहादत को सम्मान देने का समय नहीं है और इच्छा भी नहीं है। नेताओं के अलावा देश की मीडिया भी उन्हें अनदेखा करती रही हैं। प्रिन्ट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया मूलत: कारपोरेट मीडिया है जो उनके हित साधन पर अपना ध्यान केन्द्रित रखती है। इसलिये मीडिया को इन लोगों के बारे में और देश की आजादी से जुड़ी शहीदों से संबंधित घटनाओं में रूचि नहीं रहती है। परन्तु हमें इन महान शहीदों की शहादत जिन्होंने तत्कालीन निर्मम अमानवीय सांप्रदायिक शक्ति ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष में अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

यह दिसम्बर का महीना शहीदों की शहादत का महीना कहा जा सकता है। जब देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध क्रान्तिकारी तरीके से आजादी के लिये संघर्ष छेड़ने के कारण उन्हें फाँसी के तख्ते पर झूलना पड़ा। हमारे शीर्ष क्रान्तिकारी नेता एक के बाद एक अपनी शहादत देते रहे। ब्रिटिश हुकूमत की दृष्टि से उनका अपराध यही था कि क्रान्तिकारी तरीके से जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर क्रान्ति का बिगुल फूँका था जिसमें राष्ट्रीयता, आम आदमी को समाजवादी चिन्तन के आधार पर वास्तविक आजादी प्रदान करने का लक्ष्य था। उनका संघर्ष कौमी एकता का संदेश प्रसारित करता था। हिन्दु और मुसलमान दोनों समुदाय एकजुट हो जाये और अंग्रेजों को उखाड़ फेंके – ऐसी उनकी परिकल्पना थी। इनका साहस असीम था। दुश्मन चाहे जितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसका विरोध करने का लक्ष्य लेकर उसके प्रशासनिक ढाँचे को चरमरा देना उनका लक्ष्य था। अन्याय के प्रति विद्रोह का आह्वाहन था। हमारे महान क्रान्तिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का यही सिद्धांत था और इन लोगों ने गाँधी के तरीके के संघर्ष को ढकोसला करार देते हुये अपना अलग रास्ता बनाया था।

आजादी के संघर्ष के दिनों में ब्रिटिश हुकूमत को क्रान्तिकारियों ने जबरदस्त झटका दिया। घटना 9 अगस्त 1925 की है जब सहारनपुर–लखनऊ मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ी को काकोरी के निकट रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। यह कार्य करके क्रान्तिकारी लोग ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देना चाहते थे तथा एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में किसी भी कीमत पर देश को आजाद कराने के लिये जनता में राष्ट्रव्यापी संदेश देना चाहते थे। इस घटना के बाद 'काकोरी ट्रेन रोबरी' या 'काकोरी कन्सपिरेसी' के नाम से केस दर्ज हुआ।

रामप्रसाद बिस्मिल की सफल कार्ययोजना के अनुसार यह कार्य हुआ जिसमें अशफाक उल्लाह खॉ, राजन लहरी, सचिन्द्र बख्शी, चन्द्र शेखर आजाद, मुकुन्द रॉय, मुरारी लाल, कुन्दन लाल, बनवारी लाल, मनमथ नाथ, केशब चक्रवर्ती, ठाकुर रोशन सिहं और कुछ अन्य क्रान्तिकारी देशभक्तों ने भाग लिया। आगे चलकर मनमथ नाथ गुप्ता ने एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक – 'दे लिव्ड डेंजरसलि' लिखा, जिसमें रोमांचकारी तरीके से घटित घटना का वर्णन किया हैं। घटना जिसमें मृत्यु और भाग्य साथ–साथ चल रहे हैं। इन लोगों ने मजबूत हथौड़े से किस बहादुरी पूर्वक स्टील के बॉक्स को तोड़ दिया और नकद राशि लेकर भाग निकलने में सफल हुये। इन घटनाओं का विवरण पढ़ने योग्य हैं। इस घटना में सशस्त्र क्रान्ति की अवधारणा के बल पर राष्ट्र को आजाद कराने के संकल्प को बल प्रदान किया तथा इस विचार धारा पर चलने वाले देशवासियों को अपार ऊर्जा का संचार किया।

इस घटना ने अँग्रेजों के होश उड़ा दिये। उनकी प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गयी। एक सघन छानबीन का अभियान चला और 26 सितम्बर 1925 को बहुत बड़े स्तर पर छानबीन की गई, घरों पर छापा पड़ा और काफी संख्या में गिरफ्तारियाँ हुई। नाम से आजाद महान क्रान्तिकारी चन्द्र शेखर आजाद को छोड़कर लगभग सभी मुख्य क्रान्तिकारी जिनका काकोरी काण्ड से संबंध था, गिरफ्तार कर लिये गये थे। ये गिरफ्तारियाँ विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न राज्यों में हुई। 4 जनवरी 1926 को 25 लोगों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश सैयद ऐनुद्दीन की अदालत में मुकदमा चलाया गया। दो लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लिया गया और दो समर्थक बने गये। शेष के विरुद्ध मुकदमा मिस्टर हेमिल्टन, जो लखनऊ में विशेष सत्र के न्यायाधीश थे, सुनवाई के लिये आगे बढ़े अशफाक उल्लाह और सचिन्द्रनाथ बख्शी की गिरफ्तारी बाद में हुई और इनके मामले को भी संलग्न कर लिया गया।

6 अप्रैल 1927 को खचाखच भरे हुये न्यायालय परिसर में काकोरी ट्रेन रोबरी का फैसला सुनाया गया। उस समय महान क्रान्तिकारी

रामप्रसाद बिस्मिल अपनी रचित सुपसिद्ध रचना जोरदार स्वरों में गाने लगे –
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं,
देखना है जोर कितना बाजु–ए –कातिल में है।
एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचित,
देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में हैं...
उनके जोरदार स्वर में वहाँ उपस्थित उनके सभी सहयोगियों ने सुर मिलाया और पुरा माहौल देशभक्ति के रस में डूब गया। पूरे परिसर में वन्दे मातरम का सुर गूँजने लगा। राष्ट्रभक्ति का सैलाब हवा में उफनने लगा। इस खूबसूरत लोम हर्षक क्षड़ों में छाती ताने हुये हमारे बहादुर रणबांकुरे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अश्फाक उल्लाह खान और राजेन्द्र लहरी को फाँसी की सजा सुनाई गई। वे चेहरे पर मुस्कान बिखरते हुये देशभक्ति के गीत गा रहे थे। सचिन्द्र नाथ बख्शी, सचिन्द्र नाथ सान्याल, गोविन्द चरण कार, योगेश चन्द्र चटर्जी और मुकुन्द लाल को आजीवन देश निकाला की सजा सुनाई गई। राजकुमार सिन्हा, सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य, विष्णु शरण डबलिस और रामकिशन खत्रि को 10 वर्षों कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्षों का कठोर कारावास का दण्ड मिला और अन्य 5 को भी कारवास की सजा हुई।

19 दिसम्बर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह को फैजावाद में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जिला जेल में फाँसी के फंदे पर लटकाया गया जबकि राजेन्द्र प्रसाद लहरी को गोण्डा जेल में 2 दिन पहले ही 17 दिसम्बर 1927 को फाँसी दे गई थी। डबलिस को जबरन अण्डमान के लिये भेज दिया गया।

खाद्य सुरक्षा विधेयक: देश के संघीय ढाँचे की अवहेलना

बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार देश की आबादी के 63.5 प्रतिशत लोगों को सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया कराए जाने का तर्क दिया जा रहा है। इस विधेयक के क्रियान्वयन में आने वाली अनुमानित लागत लगभग 3.5 ख करोड़ है जबकि सब्सिडी (छूट) के रूप में तय राशि लगभग 95,000 करोड़ है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 के दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का 75 प्रतिशत मात्र आता है जिसमें 46 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे की है।

इस विधेयक के अनुसार 7 किलो खाद्यान्न जिसमें चावल, गेहूँ और अन्य साधारण खाद्यान्न शामिल है, चिन्हित प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलेगा। चावल 3 रु० प्रति किलो, गेहूँ 2 रु० और अन्य सामान्य अन्न 1 रु० प्रति किलो मिलेगा। सामान्य वर्ग के लोगों को कम से कम 3 किलो खाद्यान्न न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत मूल्य से अधिक पर नहीं मिलेगा।

लोकपाल विधेयक के समान ही यह विधेयक भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और वर्तमान जिस रूप में आया है इसका सुधारवादी स्वरूप स्वीकार्य नहीं है। सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि लाभ देने वाले वर्ग का वर्गीकरण ही आपत्ति जनक है। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लाक समेत प्रमुख वाम पार्टियाँ सदैव से मांग करती रही हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण करो। प्रदान किये जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाओ। ए.पी.एल. को इस विधेयक में सामान्य वर्ग कहा गया है। 26 रुपये तक ग्रामीण क्षेत्र में और 32 रु० तक शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। प्रारम्भ से ही हम (फारवर्ड ब्लॉक) इस मापदण्ड को भ्रामक और नाकाफी मानती रही हैं।

यह विधेयक सरकार के नवउदारवादी सुधारकार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसको क्रियान्वयन में लाकर नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को स्थापित करने की संप्रग सरकार की चाल है।

इस विधेयक के जरिये देश के संघीय ढाँचे की अवहेलना की गई है। प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति, सम्पत्ति, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विशेषतायें है। इसिलिये राज्यों को आर्थिक स्वतंत्रता दिये जाने की आवश्यकता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 356 के रूप में राज्यों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। जिससे राज्यों की स्वतंत्रता पर एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है। केन्द्र ने अकेले ही तय करने का जिम्मा ले लिया है कि गरीब कौन है?गरीब कितने है?गरीबी का निर्धारण का उनका मापण्ड (पैरामीटर) क्या होगा?दिया जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा क्या होगी?राज्यों की सोच और गणना का कोई महत्त्व नहीं है। जबकि मजबूत और ठोस केन्द्र–राज्य सम्बन्ध की बहाली के लिये सत्ता का अधिक विकेन्द्रीकरण, स्वायतता, पर्याप्त राजस्व में हिस्सा और अंतर्राज्यीय मामलों में गैर पक्षपतापूर्ण पहल की आवश्यकता है। इन सभी परिप्रेक्ष्य में यह विधेयक अपने सुधावारवादी रूप में अस्वीकार्य है।

महँगाई पर रोक लगाने के लिये राष्ट्रव्यापि कारगर उपाय जरूरी -- अंतहीन बहस नहीं

डॉ. बरूण मुखर्जी, सांसद

मुझे कहते हुये बड़ा ही उदासी महसूस हो रहा है कि संसद के सभी सत्रों में महँगाई पर चर्चा सांसदों का एक रिवाज बन गया है, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ा ? पिछले तीन वर्षो से महँगाई पर कोई प्रशंसनीय प्रगति नहीं हुई, जबकि यह और खराब होता गया। यद्यपि प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री जनसभाओं में कहते हुये सुने गये हैं कि महँगाई देश के लिये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है।

लेकिन जब तक इस गहरी और विशाल समस्या को रोकने की कोशिश युद्ध स्तर पर सभी व्याख्यों के साथ नहीं की गई तो महँगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता है।

भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की 'अर्द्ध-वार्षिक विश्लेषण 2011-2012' के अनुसार:

"चालू वित्त वर्ष में पिछले सात महीनों (अप्रैल-अक्तूबर 2011) में औसत डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 9.6 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष इन्हीं महीनों में यह 9.9 प्रतिशत थी"

विश्लेषण आगे कहता हैं: "चिन्ता का विशेष क्षेत्र है - उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का लगातार बने रहना। धनी देशों की घरेलू खपत के व्यय (एक परिवार द्वारा खाद्य वस्तुओं पर लगभग-7-8 प्रतिश के व्यय) के मुकाबले भारत में घरेलू खपत के व्यय का एक बड़ा हिस्सा (46 प्रतिश) खाद्य वस्तुओं पर किया जाता है। परिणामस्वरूप, खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने सभी परिवारों को प्रभावित किया है, खास तौर से अपेक्षाकृत निर्धन परिवारों को।"

जबकि मूल्य वृद्धि के कारणों की व्याख्या करते हुये हमने सरकार को पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत और आपूर्ति के बेमेल को कई बार जताया। लेकिन यह अकाट्य इस पर विवेचना नहीं की गई। हमें निश्चित ही आपूर्ति पक्ष विशेषकर अपने देश की उत्पादन और कृषि उत्पाद की ओर देखना होगा जो देश की आर्थिक स्थिति पर विशेष प्रभाव डालती है। हमने अक्सर यही देखा की कृषि विकास की दर कई बार गीर जाती हैं और 4 प्रतिशत के बहुत मामूली लक्ष्य से 1.5 प्रतिशत पर चला जाता है। अत:, कृषि क्षेत्र अधिक से अधिक सार्वजनिक निवेश होने चाहिये। वित्तमंत्री के बजट भाषण में कहा था कि कृषि में अधिक से अधिक सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है और उत्पादन भी बढ़ाना होगा। जब तक हम कृषि और अन्य उत्पादनों को नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम महँगाई पर रोक नहीं लगा सकते। यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, हम केवल महँगाई को ही काबू नहीं करेंगे बल्कि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर भी मिलेंगे। सरकार अक्सर कहती है कि मांग इसलिये बढ़ हैं क्योंकि लोगों की आय क्षमता बढ़ गई हैं। लेकिन इसे जाँचने के लिये हमें भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमिटी प्रो. अर्जुन सेनगुप्ता, की सिफारिशों की ओर भी देखना होगा। हम सभी इस बारे में जानते है कि हमारे देश की 77 प्रतिशत जनता के पास 20 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा खर्च करने की क्षमता नहीं है। अत:, इस अवस्था में, सरकार जो भी आकड़े देती है, हम नहीं मान सकते हैं कि लोगों की क्रय क्षमता बढ़ी है। इसिलिये, बुनियादी बात यह है कि आपूर्ति पक्ष पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। हम एक ऐसे दुष्चक्र को देख रहे है जो भ्रष्टाचार से आरम्भ होती है। इसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन हमारे देश में ऐसा हो रहा है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से राजकोष को 1.76 लाख करोड़ का गहरा आघात लगा। जबकि इतनी बड़ी राशि से हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सब्सिडी (छूट) दे सकते है और गरीब लोगों को लगातार 5 सालों तक सहायता प्रदान कर सकते हैं। अत:, दुष्चक्र का यह खेल भ्रष्टाचार से शुरू होता है। भ्रष्टाचार काले धन की पीढ़ी को जन्म देता हैं। दूसरी ओर, भ्रष्टाचार से अनुचित व्यवसाय प्रथायें प्रबल होती हैं और मूल्य वृद्धि का कारण बनती हैं। दूसरी ओर, सकरार की जनविरोधी नीतियों से इस दुष्चक्र को बल मिलता हैं, जिससे कारपोरेट घरानों और व्यसायिक घरानों को अधिक लाभ कमाने के लिये खुली छूट मिलती हैं। कम से कम, हमने कभी भी यह नहीं देखा की उनके मुनाफे में कभी गिरावट आई हो। इन व्यवसायिक घरानों को हमने कभी वार्षिक लेखा जोखा नहीं देखा जबकि ये कहते हैं कि हमारा मुनाफा कम हो रहा हैं। अत:, यह हमारी जनसंख्या में आर्थिक असमानता बनाता हैं और अंतत: हम मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि की वजह से पीड़ित हैं।

इस संबंध में अपने कुछ और भी सुझाव डाल सकते हैं। हालांकि देश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों की यह लगातार मांग रही हैं कि कृषि पदार्थों का वायदा कारोबार (फारवर्ड ट्रेडिंग) पर रोक लगानी चाहिये, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार सीधे तौर पर कुछ न कहकर कह देती है नहीं, यह संभव नहीं है। हमने सरकार से कभी नहीं सुना। लेकिन यह एक मुद्दा हैं जो जिसे प्राथमिकता देनी चाहिये और हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहिये। हमें भारतीय खाद्य निगम और अन्य गोदामों में इतनी बड़ी अनाज की बर्बादी को जाँचना चाहिये और हमें जमाखोरों और काला बाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसा कहने का कोई तात्पर्य नहीं है कि "राज्य सरकार के पाले में मामले

को उछाल देना चाहिये"। मैं नहीं सोच सकता हूँ कि केन्द्र सरकार मूक दर्शक बन सकती है। अत:, राज्य सरकारों पर आरोप लगाने की बजाय केन्द्र सरकार कदम उठाये और काला बाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करें। कृषि उत्पाद और अन्य उत्पादनों को बढ़ाने के लिये हमें हर संभव प्रयास करने चाहिये, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा। पेट्रोलियम क्षेत्र को भी विनियमन हमें बन्द कर देना चाहिये। इसे बाजार की शक्ति पर नहीं छोड़ देना चाहिये। हमारा अनुभव है कि ये किस प्रकार बुरी तरह से हमारे आर्थिक ढ़ाँचे को प्रभावित कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत को पुन: वापस लिया जाये।

साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष को गहरा झटका : किम जोंग इल का देहांत

कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी, नोर्थ कोरिया स्टेट न्यूज एजेंसी ने 19 दिसम्बर 2011 को घोषणा किया की कामरेड किम जोंग इल का देहान्त 17 दिसम्बर2011 को हो गया। वास्तव में साम्राज्यवादी संघर्ष के कार्यकर्ताओं के लिये यह एक चौंका देने वाला समाचार था। कामरेड किम जोंग इल के योगदान को हमेशा याद रखेगा जायेगा। उन्होंने दोनों कोरियाई देशों के एकीकरण के लिये पूरी कोशिश की। अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ अथक लड़ाई लड़ी और अपने देश को अमेरिका के घृणित चंगुल से बचाये रखा। कामरेड किम जोंग इल ने अमेरिका और उसके कठपुतली देशों द्वारा लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध को चुनौती देते रहे।

आर्थिक नाकेबंदी के कारण उत्तर कोरिया की जनता को काफी कुछ सहना पड़ा। लेकिन वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की कुशल नेतृत्व के कारण सभी बाधाओं पर काबू पा लिया गया और राष्ट्र की गरिमा को बनाये रखा। किम जोंग इल ने अपने देश में मुसीबतों के लिये अमेरिका को दोषी ठहराया और दक्षिण कोरिया के शासन को वाशिंगटन की कठपुतली बनकर कार्य करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यु बुश ने ईरान और इराक की तरह उत्तर कोरिया को भी 'बुराई की धुरी' कहा था। बाद में उन्होंने किम को 'तानाशाह' भी कहा। बुश ने 2005 में कहा था – 'देखो, किम जोंग इल को यह एक खतरनाक व्यक्ति है, यह वह व्यक्ति है जो अपने लोगों को भूखा रखता है। इसका ध्यान शिविरों की ओर एकाग्र रहता है। और ... इसके परमाणु हथियार की बढ़ाने की क्षमता एक चिन्ता का विषय है'। लेकिन कामरेड किम जोंग इल ने इन सभी बातों की परवाह किये बगैर अपने देश को साम्राज्यवादी ताकतों से बचाये रखने में सफलता हासिल की अपने देश को स्वावलंबन की ओर ले गये।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने कामरेड किम जोंग इल के देहांत पर अपना गहरा शोक प्रकट किया। पार्टी महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास ने 'वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया' के उपाध्यक्ष को शोक संदेश दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि –

'हमें यह जानकर बड़ा दु:ख हुआ कि वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया महासचिव व नेशनल डिफेंस कमीशन कोरिया के कामरेड किम जोंग इल का देहांत हो गया।

कृपया हमारी गहरी संवेदना स्वीकार करे।

महान नेता कामरेड किम इल जोंग द्वारा स्थापित वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और भारत के क्रान्तिकारी नेता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के मध्य मजबूत संबंध को याद करते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान हमलोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान–प्रदान करते थे। अत: उनका देहान्त सिर्फ उत्तर कोरिया के लिये ही झटका नहीं है बल्कि भारत की आम जनता व अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के लिये भी बड़ा झटका है।

हमें यकीन है कि भावी पीढ़ी साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके संघर्ष को याद रखेगी और उनके महान व उच्च विचारों का प्रचार करेगी। उत्तर कोरिया की जनता की उन्नति के लिये उनका योगदान दुनिया भर के शासकों के लिये एक प्रेरणा का स्रोत रहेगी। यह बड़ा ही संतोषजनक बात है कि उत्तर कोरिया को उन्होंने सभी प्रकार की बाहरी साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल से बचा रखा, वे अपने राष्ट्र को झूठे और राष्ट्र को अस्थिर करने वाले प्रचारों से बचाते रहे।

कामरेड किम जोंग इल की गौरवन्वित याद में हम अपना झण्डा व बैनर झुकाते हैं।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के साथ पार्टी–टु–पार्टी संबंध है और उत्तर कोरिया के राष्ट्रीय शोक में शामिल हैं और दिवंगत नेता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं।

(देवब्रत बिश्वास) महासचिव

एमरी अस्पताल की अग्नि दुर्घटना से सबक लेना होगा।

बीस माह के अंतराल में आगजनी की दो बड़ी घटनायें हुई। पहला मार्च 2010 को स्टीफन कोर्ट में जहाँ 43 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी, दूसरा 9 दिसम्बर 2011 को कोलकाता के एमरी अस्तपाल में जिसमें 173 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी, जिसने पूरे शहर को शोकाकुल कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से आगजनी की दुर्घटनायें हो रही हैं इससे लगता हैं कि कोई सबक नहीं सीखा जा रहा हैं। इस बार की स्थिति और भी भयानक थी - क्योंकि जिनका दम घुट रहा था उनके आने-जाने पर रोक लगा दी गयी थी।

स्टीफन कोर्ट की घटना के बाद एक उच्च स्तरी जाँच कमिटी का गठन किया गया जिसमें उच्च पदाधिकारी तथा शहर की पुलिस भी थी, कोलकाता नगर निगम, पश्चिम बंगाल अग्नि व आपातकालीन सेवा विभाग और विद्युत वितरण कम्पनी ने 48 भवनों और शहरों के बाजारों का निरिक्षण किया था तथा अग्नि सुरक्षा के मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिये अपनी सिफारिशें दी थी। इस पैनल ने कई सुझाव दिये थे, लेकिन किसी का भी क्रियान्वयन मुश्किल ही हो पाया। एमारी अस्तपाल की दुर्घटना में बेसमेंट (तहखाने) को संदेह में लिया जा रहा हैं जहाँ से भयंकर आगजनि हुई होगी। जब बेसमेंट पार्किंग के लिये बनाया गया था तो फिर वह सामग्री (सामान) करने का भण्डार क्यों बनाया गया, इन सामानों में कुठ ज्वलनशील पदार्थ भी थे। यह पूर्ण रूप से भवन व अग्नि सुरक्षा के नियमों उल्लंघन था।

अस्तपाल अधिकारियों ने 29 अगस्त को लिखित रूप में वचन दिया था कि बेसमेंट में पड़े सामानों को हटा लिया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और नतीजतन 173 लोगों को काल के आगोश में चली गई। फिलहाल इसके निदेशक गिरफ्तार किये जा चुके हैं जिन्होंने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि अग्नि अलार्म प्रणाली खराब होने के कारण बन्द था।

एमरी अस्पताल के कर्मचारी भी फायर ब्रिगेडे को आगजनी की दुर्घटना को खबर नहीं कर पाये। इसकी सूचना घंटे बाद की गई तब तक परिस्थिति भयानक रूप ले चुकी थी।

स्टीफन कोर्ट की आग से धधक रही ऊपरी मंजिलों पर आग से लोगों के शरीर झुलस गये थे या आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गये थे। लेकिन एमरी अस्पातल में बेसमेंट रखे जहरीले पदार्थों के जलने से गैस ने अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया जियये ज्यादादर पीड़ितों की मौत दम घुटने से हुई। केन्द्र सरकार की स्टैण्डिंग फायर एडवायजरी काउसिंल ने 1988 में सिफारिश की थी जिसमें बताया गया था कि भीड़भाड़ क्षेत्रों में आग लगने की घटना और अग्नि शमन कार्यालय के बीच की दूरी कम से कम तीन मिनट तक की होनी चाहिये तथा अन्य मामलों में कम से कम पाँच मिनट हो। अग्नि शमन कार्यालयों की स्थापना संकरी शहरों में जैसे कोलकाता आदि में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिये।

इस तरह के मामलों में ब्रिटेन बहुत ही तत्पर देश हैं। जब जनवरी 2008 से लेकर फरवरी 2009 के बीच पाँच बड़े अस्पतालों में आगजनी की घटना हुई लेकिन कोई मरा नहीं। वास्तव में स्वास्थ्य के मामलों में ऐसा होना प्रतिकूल था। नॉर्थविक पार्क अस्पताल, जिसमें बड़े पैमाने पर जिला-स्तर स्वास्थ्य सुविधायें थी, जिसमें 123 मरीज थे जिनमें कई तो दीमागी रूप से भी पीड़ित थे, सभी को 23 मिनट में सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया और सभी को बचा लिया गया। आवधिक जाँच और आपातकालीन योजना से निपटने की तैयारी के रूपरेखा पर अस्पताल अदायगी करता हैं।

हालांकि, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये, आग लगने पर आग से निपटने के अलावा आग के लगने के कारणों व गलतियों को खोजकर दुरूस्त करने पर भी ध्यान केन्द्रित होना चाहिये।

लेकिन यह सोचना का विषय है कि एक निर्दयी कठोर संचालक बीमार लोगों की देख-रेख कर सकता है, विशेषकर एक व्यापारी जिसके पास अस्पताल प्रबंधन की कोई जानकारी नहीं है और वह देश के सभी राजनैतिक संप्रभावों की अवहेलना करके सिर्फ मुनाफा कमाने के लिये स्वास्थ्य केन्द्र का व्यवसाय करने लगता हैं। मुनाफाखोर पूँजीपतियों, साम्राज्यवादियों, और धनाढ्यों चलाई जा रही सरकार द्वारा बनाया गया एक उदाहरण है यह।

इसके अलावा, कई निजी अस्तपाल देशभर में आकर्षक व्यवसाय आरम्भ कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर अस्पताल सीधे तौर पर पत्थर के जंगल की तरह हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इन अस्पतालों के पास आग लगने पर रोगियों को बचाने के लिये कोई उपाय नहीं है।

इस तरह निजी नर्सिंग होम को अच्छा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ये ज्यादातर निवासीय फ्लैटों में संचालित होते हैं।

इस नव-उदारवादी व्यवस्था में स्वास्थ्य क्षेत्र को निजी व्यवसाय के लिये खोल दिया गया हैं। अच्छे ईलाज और अच्छी सुविधा देने के नाम पर कई निजी अस्पताल खुले है जो खूब मुनाफा कमा रहे हैं। जिनका एक ही लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। जबकि हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता के पास इन अस्पतालों में जाने की हिम्मत ही नहीं है। इनके प्रबंधक बिना किसी सुरक्षा के मानक नियमों के खूब मुनाफा कमाने के लिये आजाद हैं।

प्रदीप बोस को श्रद्धांजलि

प्रो. वी.पी. सैनी

नई दिल्ली: 10 दिसम्बर 2011 को नेताजी सुभाष फाउण्डेशन ने स्व० प्रदीप बोस को श्रद्धांजलि देते हुये सभा का आयोजन 28, गुरूद्वारा रकाब गंज रोड़, नई दिल्ली में किया। उक्त सभा में प्रदीप बोस जी पत्नी श्रीमती जोयसे बोस, बहन श्रीमती शीला सेनगुप्ता, भांजि श्रीमती रेणुका भी शामिल हुई। इनके अलावा अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक व नेताजी सुभाष फाउण्डेशन महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास, सांसद डॉ. बरूण कुमार मुखर्जी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के महासचिव श्री गिरी जी, सामाजिक व किसान संघर्ष समिति के नेता डॉ. सुनीलम जी, सोशलिस्ट फ्रंट के श्री विजय प्रताप, फारवर्ड ब्लॉक हरियाणा राज्य कमिटी महासचिव साथी डी.के. शर्मा आदि के अलावा फारवर्ड ब्लॉक, अग्रगामी महिला समिति, ऑल इण्डिया स्टुडेन्ट्स ब्लॉक, ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेन्टर के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता साथी डॉ. बरूण कुमार मुखर्जी जी ने की। सभा का संचालन फारवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय सचिव प्रो. वी.पी. सैनी जी ने की।

उपस्थित सभी लोगों ने प्रदीप बोस जी की फोटो पर फूल अर्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। श्री वी.पी. सैनी जी ने श्री बोस जी के संघर्षमयी जीवन पर प्रकाश डालते हुये कहा कि वे एक महान लोकतांत्रिक सामाजिक, वास्तविक महान आदर्श, मानवता, राष्ट्रीयता, महान वामपंथी और एक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के प्रेरक और अनुयायी थे।

डॉ. सूनीलम जी ने श्री प्रदीप बोस जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा कि श्री प्रदीप बोस जी एक नम्र, शांत और साधारण महान व्यक्ति थे तथा पूरी तरह से वे अपने आदर्शों पर चलते थे। वे अपने आदर्शों और वचनवद्धता के प्रति पूरी तरह कर्त्तव्यनिष्ठा से जीवन में वहन करते थे, उन्होंने कभी भी राजनैतिक पद और तड़क-भड़क ग्लैमर की ओर नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि आजकल के दौर में उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के लिये अपने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और अपने सच्चाई और आदर्शों को सर्वोपरी रखा। उन्होंने कहा कि श्री प्रदीप बोस जी का समाज के आने वाली पीढ़ी के लिये एक आदर्श प्रस्तुत करता हैं।

श्री देवब्रत बिश्वास जी ने अपने लम्बे संबंधों को समेटते हुये कहा कि वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक थे। श्री प्रदीप बोस जी अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के औपचारिक सदस्य नहीं थे लेकिन पार्टी की लेखों, वाद-विवादों, और नीतियों का हमेशा आचरण करते थे। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष फाउण्डेशन के प्रवर्तक थे। श्री बिश्वास जी ने कहा कि वे श्री प्रदीप बोस जी के कार्यों, उनके आदर्शों आदि पर पुस्तक प्रकाशित करेंगे। इसके लिये उन्होंने सभी अनुरोध किया कि श्री प्रदीप बोस जी के आदर्शों और कार्यों के संग्रहण में उनकी सहायता करें, ताकि उसकी पुस्तक प्रकाशित कर आने वाली पीढ़ी के लिये प्रस्तुत किया जा सके।

श्री गिरी जी ने श्रद्धांजलि देते हुये कहा कि श्री प्रदीप बोस जी के साथ वे लम्बे समय से जुड़े रहे, जो कि एक बहुत अच्छे मित्र, सहायक की तरह साथ देते थे। उन्होंने आगे कहा कि श्री बोस जी बहुत बड़े विचारक और रचनाकार थे। समाजवाद के पहलु को विभिन्न विचारों से जानने व जैसा वे उचित समझते उसके प्रचार के लिये उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों का भ्रमण किया। श्री बोस जी ने सौ से अधिक पुस्तकें व प्रलेख लिखे। उन्होंने अपना जीवन समाजवाद को समझने में लगा दिया और वे जो भी उचित व तर्कपूर्ण लगता उसे लिपिबद्ध कर देते।

सोशलिस्ट फ्रंट के श्री विजय प्रताप जी ने कहा कि श्री बोस जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी थे। श्री बोस जी सही मायने में ऐसे समजवादी थे जिन्होंने समाजवाद के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिये दुनिया का भ्रमण किया। वे सही मायने में निर्भिक और खुले दिलवाले समाजवादी थे। वे हमेशा आजादी के साथ और खुलकर अपनी बातों को कहते थे और इसके साथ-साथ दूसरे के वक्तव्य को भी बड़े ध्यान से सुनते थे और उनके विचारों को सुनकर उसको प्रोत्साहित भी करते थे। श्री विजय प्रताप जी ने आगे कहा कि श्री बोस जी ने बहुत कुछ किया और लिखा तथा उनके जीवन के मूल्यांकन और सहयोग को जानने के लिये गंभीरता से लगातार मेहनत करनी होगी।

डॉ. बरूण मुखर्जी, श्री प्रदीप बोस जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये विस्तार पूर्वक उनके व उनके परिवार के सहयोग की व्याख्या की, विशेषकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अंतर्ध्यान रहस्य को सुलझाने में काफी योगदान दिया। उन्होंने अपने पिता श्री सुरेश चन्द्र बोस, जो कि शाहनवाज हुसैन कमिटी के सदस्य भी थे, को एक असहमति पत्र भी दिया। डॉ. बरूण मुखर्जी ने कहा कि श्री प्रदीप बोस जी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया।

डॉ. गौतम जी ने व्याख्या किया की श्री प्रदीप बोस जी उनके जीवन के एक आदर्श थे और श्री बोस जी स्वयं में आदर्श समाजवादी के एक जीवंत प्रदर्शनी थे। वे आदर्शों से भरे जीवन जीते थे। डॉ. गौतम जी ने कहा कि उन्हें देखकर यह विश्वास करना कठिन होगा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी का भतीजा इतने साधारण ढंग से पूर्वी निजामुद्दीन, नई दिल्ली में एक किराये के घर में रहते थे।

श्री डी.के. शर्मा ने महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा कि श्री प्रदीप बोस जी एक करनाल (हरियाणा) आये थे और उन्होंने जो भी कुछ कहा उसने करनाल के लोगों पर एक गहरा छाप छोड़ दिया। वहाँ के लोग उनके सहजता, नम्रता, सच्चाई और संदेश देने के व्यवहार से बहुत ही उत्साहित थे।

श्रीमती रेणुका, श्री प्रदीप बोस जी भांजी, ने उन्हें छोटु मामु कहकर सम्बोधित करते हुये कहा उनके मामा बहुत की जीवन शैली बहुत ही साधारण थी, वे सभी को बहुत प्यार व स्नेह देते थे। परिवार में वे व उनकी उम्र के सभी सदस्य उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनके साथ कुछ सहयोग करते थे। वे सिर्फ दूसरों को अच्छी तरह सुनते ही नहीं थे बल्कि दूसरों के विचारों का बहुत सम्मान करके उत्साहित करते थे। उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। उनका जीवन सदा ही संघर्षशील रहा और कभी दूसरों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वे सही मायरे में प्रेरणादायक और प्रोत्साहित व्यक्तित्व थे।

सभा को समाप्त करते हुये श्री वी.पी. सैनी जी ने श्री प्रदीप बोस जी के साथ अपनी अंतिम मुलाकात 9 नवम्बर 2011 का जिक्र किया और उनसे माफी मांगी की मैंने आपसे आपके घर आकर मिलने का वादा किया था लेकिन मैं मिल नहीं पाया। श्री सैनी जी ने कहा कि श्री बोस जी ने बहुत कुछ लिखा और अपने विचारों को दुनिया में जगह-जगह मीटिंगों में रखा, अंततोगत्वा की बहुत कुछ आदर्श उनके साथ चले गये। मुझे आशा है कि श्री प्रदीप बोस जी का जीवन और आदर्श सच्चे समाजवादियों, राष्ट्रभक्तों और मानवता के लिये सदा ही प्रेरणादायक रहेगा।

फारवर्ड ब्लॉक नेता रबीन घोष नहीं रहे

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक बंगाल राज्य कमिटी अध्यक्ष व पूर्व सहाकरिका मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार साथी रबीन घोष जी का देहान्त 11 दिसम्बर 2011 को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में लम्बी बीमारी के बाद हो गया। वे 81 वर्ष के थे तथा वे अविवाहित भी थे।

साथी रबिन घोष छः बार अपने क्षेत्र दक्षिण उलुबेरिया (पश्चिम बंगाल) से विधायक चुने गये। पार्टी में वे 1948 में छात्र जीवन में ही जुड़ गये थे। एक तेजतर्रार वक्ता साथी रबिन घोष पार्टी संगठन को अपने राज्य पश्चिम बंगाल, विशेषकर हावड़ा जिला में मजबूत करने के लिये लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने जनसंगठनों जैसे किसान सभा व टीयूसीसी के लिये बहुत सहयोगात्मक कार्य किये।

उनके शरीर को पार्टी की राज्य कार्यालय हेमन्ता बसु भवन, कोलकाता लाया गया फिर उसके पश्चिम बंगाल विधान सभा, हावड़ा जिला पार्टी कार्यालय फिर उलुबेरिया पार्टी कार्यालय लाया गया। सभी जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और पार्टी के अनुयायियों ने बड़ी संख्या में अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पार्टी की केन्द्रीय कमिटी की ओर से साथी देवब्रत बिश्वास जी ने रबिन घोष जी को श्रद्धांजलि दी।

सामाजिक बुराइयों से महिलाएं सबसे अधिक पीड़ितः महिला समिति

अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिये तीन क्षेत्रीय सभाओं की विस्तारिक बैठक का आयोजन बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से किया।

1. दक्षिण क्षेत्र की सभा का आयोजन 4 दिसम्बर 2011 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राज्य कार्यालय, बैंगलौर में हुआ। सभा की अध्यक्षता महिला समिति राज्य कर्नाटक राज्य कमिटी साथी सी. चन्द्रम्मा ने की। अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति राष्ट्रीय सांगठनिक सचिव साथी पूर्णिमा बिश्वास ने परिचर्चा का आरम्भ किया और राष्ट्रीय परिदृश्य को गंभीरता पूर्वक बताया तथा देश में महिला संगठनों की आवश्यकता पर प्रकार डाला। सभा में तमिलनाडु, पुदुचैरी और कर्नाटक की महिला साथियों ने भाग लिया। सभा का पूर्ण आयोजन साथी जी.आर. शिवशंकर, राष्ट्रीय सचिव अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने किया।
2. केन्द्रीय क्षेत्र सभा का आयोजन टीयूसीसी के केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में 10 दिसम्बर 2011 को हुआ। जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दिल्ली की महिला नेत्रियों ने भाग लिया। साथी पूर्णिमा बिश्वास ने सभा को सम्बोधित करते हुये संगठन को मजबूत करने के लिये ज्यादा से ज्यादा महिला सदस्यों को जोड़ने का आह्वान किया। उक्त सभा में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक राष्ट्रीय महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास भी उपस्थित थे।
3. पूर्वी - उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सभा का आयोजन 18 दिसम्बर 2011 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राज्य पार्टी कार्यालय, नलिनी गुहा हॉल,

हेमन्ता बसु भवन में हुआ। इस सभा में आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल की महिला नेत्रियों ने भाग लिया। सभा में फारवर्ड ब्लॉक केन्द्रीय सचिव मण्डल सदस्य साथी अशोक घोष, डॉ. बरूण मुखर्जी, साथी जयन्त रॉय, साथी जी. देवराजन, साथी श्यामल रॉय, साथी हाफिज आलम सैरानी भी उपस्थित थे। साथी पूर्णिमा बिश्वास ने सभा का एजेण्डा प्रस्तुत की जो इस प्रकार थी:

एजेण्डा- आजादी के पश्चात् हमारे देश ने विकास के लिये पूँजीवादी रास्ते को अपनाया। जिसका नतीजा यह निकला की गरीबी, बिमारी, बेरोजगारी और असमानता बढ़ती गई। गरीबों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। किसान, कृषि मजदूर अपने जीवन जीने का साधन खो रहे हैं। वे अपने अधिकारों से वंचित है तथा पलायन को मजबूर हो रहे हैं। पूरी कृषि कार्य अब पूरी तरह से कम्पनियों के अधीन हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के नाम पर कृषि उत्पादन सहायक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण बाजार पर नियंत्रित हो गया हैं और ये अपने लाभ के लिये कृषि उत्पादों की कीमतों के साथ चालाकी से छेड़-छाड़ कर रहे हैं। सरकार दर्शक बनकर यह सब देख रही हैं और इस तरह के दोहनकारी व्यवसाय की उत्साहन व बढ़ावा दे रही हैं।

इन कृषि व ग्रामीण कार्यों में महिला का बहुत बड़ा योगदान होता हैं। अत:, इस प्रकार की दोहनकारी कृषि-आर्थिक व्यवसाय की मुख्य शिकार महिला ही हैं।

छोटे, मध्यम व घरेलू व्यवसाय में महिला कर्मियों का केवल आर्थिक दोहन ही नहीं हो रहा बल्कि शारीरिक दोहन भी कार्यस्थल पर होता हैं। सेवा क्षेत्र में महिलाओं का बड़े स्तर पर दोहन हो रहा हैं। इसके अलावा किसी भी सामाजिक बुराई या मूलभुत गतिविधियों की शिकार महिलायें ही हैं। इसी पृष्ठभूमि में, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने बनाने के लिये अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति का गठन करना होगा।

(क) महिलाओं के समक्ष मुद्दें:

(1) आर्थिक शोषण के तहत - न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न होना तथा खेतों, जंगलों, पानी, कार्यालयों, फैक्टरियों आदि में कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं का अभाव।

(2) आदिवासी और कामगार महिलाओं के बड़े स्तर पर सशक्तिकरण करना।

(3) समान कार्य के लिये समान मजदूरी।

(4) समान संपत्ति अधिकार, सरकार निहित भूमि में, बंटाईदार और आवासीय घर में हिस्सा।

(5) सामाजिक बुराईयों के प्रति संघर्ष - दहेज, झूठे सम्मान की खातिर हत्या, डायन कहकर प्रताड़ित करना, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, छूत-अछूत आदि।

(6) सभी महिलाओं को शिक्षा व स्वास्थ्य का अधिकार।

(7) शराब की सभी दुकानें, ऑनलाईन लॉटरी, ड्रग का कारोबार और महिलाओं का अवैद्य व्यापार बंद किया जाये।

(8) कारगर व पूर्ण रूप से मनरेगा का क्रियान्वयन। पचास फीसदी योजना महिलाओं के लिये सुरक्षित हो।

(9) देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम बनाया जाये।

(10) महिलाओं के लिये स्वरोजगार समूहों को बढ़ावा देना तथा उनकी सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित हो।

(11) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत, विस्थापित, घरेलू नौकरानी, निर्माण मजदूर की महिलाओं को सरकारी पहचान पत्र जारी हो।

(12) दलित मुस्लिम और आदिवासी महिलाओं के शिक्षा व सेवा के अधिकार के लिये संघर्ष।

(13) मीडिया में महिलाओं का वस्तु की भांति प्रदर्शन बंद हो।

ख) संगठनात्मक:

(1) सघन और लगातार विस्तृत क्षेत्र को संगठन के लिये जिला/ब्लॉक स्तर पर चिन्हित कर व्यापक कार्य। क्षेत्रीय संगठन की भर्ती करना।

(2) नियमित सदस्यता अभियान को लागू करना। सदस्यता का पहला चरण 31 मार्च 2012 तक संपन्न हो जाये। फोटो पहचान पत्र उचित मूल्य पर दिया जायेगा।

(3) सदस्यता के आधार पर 31 मार्च 2012 तक जिला व स्थानीय इकाईयों का गठन।

(4) केन्द्र व राज्य सरकार के कानूनी अधिकारों व सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के प्रति महिलाओं को जागरूक करना और इनके क्रियान्वयन के लिये आन्दोलन हेतु शिक्षित करना।

(5) जिला स्तरीय संगठनकर्ताओं के लिये अप्रैल-मई 2012 माह में राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर का आयोजन।

(6) कोष संग्रह - सदस्यों से, समर्थकों और जन संग्रह के द्वारा।

(7) बैंक या डाकघर में खाता खोलें।
(8) कानूनी सहायता केन्द्र का गठन।
(9) पार्टी की सहायक हेतु उचित योजना।

(ग) आन्दोलनात्म कार्यक्रम

(1) नेताजी के जन्मदिन को 'देश प्रेम दिवस' की घोषणा की मांग।
(2) अपने-अपने घर, मोहल्ले में सभाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रैली, नेताजी के बैज धारण करके, त्यौहारों की भांति अपने घर में दीपक जलाकर प्रकाश आदि करके नेताजी का जन्मदिन मनाये।
(3) अपने कार्यक्रमों के प्रचार के लिये फरवरी-मार्च 2012 माह में चिन्हित क्षेत्रों में ब्लॉक और जिला स्तर पर धरने का आयोजन। शराब की दुकानों, मीडिया में महिलाओं का वस्तु की भांति प्रस्तुतिकरण और ऑनलाईन लॉटरी के खिलाफ धरना।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 28 फरवरी 2012 को देशव्यापी आम हड़ताल का फैसला

नई दिल्ली: 24 नवम्बर 2011 को यहाँ भारतीय मजदूर संघ के केन्द्रीय कार्यालय में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों - टीयूसीसी, एटक, सीटू, एचएमएस, इंटक, भामस, एआईयूटीयूसी, यूटीयूसी, एलपीएफ और एसईडब्ल्यूए ने बैठक की और 8 नवम्बर 2011 की राष्ट्रव्यापी जेल भरो/आन्दोलन की समीक्षा की तथा मजदूर वर्ग के सामने पेश चुनौतियों एवं समस्याओं पर विचार कर 28 फरवरी 2012 को अर्थात् संसद में बजट पेश होने से एक दिन पहले एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उक्त बयान साथी रामदास पाण्डे, जी संजीवा रेड्डी, गुरूदास दासगुप्ता, आर ए मित्तल, तपन सेन तथा अन्य साथियों द्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य जारी किया गया जो निम्न प्रकार से है-

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने अपनी बैठक में देश की मेहनतकश मजदूर वर्ग से 8 नवम्बर 2011 को देशभर में जेल भरो/सत्याग्रह कार्यक्रम को व्यापक रूप से समर्थन देने के लिये बधाई दी। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व अन्य मजदूर संगठनों ने संयुक्त रूप से आयोजन कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने, मजदूरों व कर्मचारियों की स्वतंत्र अखिल भारतीय फेडरेशनों की भी देशव्यापी सत्याग्रह व जेल भरो के आह्वान का पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिये सराहना की।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने गंभीर चिंता के साथ यह दर्ज किया कि देश में समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन के एकजुट विरोध कार्यवाही करने के कई दौर के बाद भी, सरकार मेहनतकश जनता की प्रमुख चिंताओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन बनी रही है। उल्टे वह तो जन-विरोधी कदम उठाकर कीमतों को और बढ़ाने में ही लगी हुई हैं। उसने बिजली की दरों, यूरिया आदि में बार-बार बढ़ोतरी की है और पेट्रोल की कीमतों का तो पूरी तरह से विनियंत्रण ही कर दिया है। पहले से हासिल श्रम अधिकारों में, जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार भी शामिल है, कटौतियां करने की कोशिश की जा रही हैं और विभिन्न विधायी व प्रशासनिक कदमों के जरिए, सामाजिक सुरक्षा तथा पेंशन के प्रावधानों में कतर-ब्यौंत की जा रही हैं। सभी कार्यस्थलों पर नियमित काम का थोक के भाव में ठेकाकरण किया जा रहा हैं और इनमें सार्वजनिक उद्यम तथा सरकारी प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। ज्यादातर जगहों पर ठेका मजदूरों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही हैं। सरकार जोर-शोर से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयरों की बिक्री में लगी हुई हैं ताकि अत्यधिक मुनाफादेह सार्वजनिक उद्यमों के चरणवद्ध निजीकरण को सुगम बनाया जा सके।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने चौतरफा व्याप्त भ्रष्टाचार के फूट पड़ने पर और अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर काला धन पैदा होने पर भी गंभीर चिंता जतायी है। इसके खिलाफ बहुत व्यापक जन आक्रोश बढ़ा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नाराजगी सामने आयी हैं। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की मांग है कि ठोस विधायी व प्रशासनिक कदम उठाएं तथा आर्थिक नीति निजाम में बदलाव किए जाएं ताकि भ्रष्टाचार को रोका व मिटाया जा सके और दूसरे देशों में जमा करके रखा गया काला धन वापस लाया जा सके।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने 8 नवंबर 2011 के जेल भरो/सत्याग्रह आंदोलन द्वारा रेखांकित की गयी मजदूरों की सबसे ज्वलंत मांगों को दोहराया है:

1. महँगाई को रोकने के लिए ठोस कदम।
2. उद्यमियों को दी जाने वाली रियायतों / प्रोत्साहन पैकेजों के साथ रोजगार की सुरक्षा को लिंक करने के लिए ठोस कदम।
3. बिना किसी अपवाद या छूट सभी बुनियादी श्रम कानूनों पर सख्ती से अमल और श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कठोर दंडात्मक कदम।

4. असंगठित मजदूरों के लिए बिना किसी सीमा सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा कवर और एनसीईयूएस (नेशनल कमीशन ऑन इंटरप्राईजेज इन अनआर्गनाइज्ड सेक्टर - असंगठित क्षेत्र उद्यमों के संबंध में आयोग) और श्रम पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप पर्याप्त संसाधनों के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष (नेशनल सोशल सिक्युरिटी फण्ड) का निर्माण और

5. केन्द्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के विनिवेश पर रोक।

मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन इन पांच मांगों को फिर से दोहराते हुये मांग करता हैं कि सरकार निम्न बातों को सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कदम उठाये।

✶ स्थायी / बारह महीने चलने वाली किस्म के काम का ठेकाकरण नहीं, ठेका मजदूरों को वेतन एवं लाभों का उसी दर पर भुगतान जिस पर उद्योग/प्रतिष्ठान के नियमित मजदूरों को हाता हैं।

✶ सभी मजदूरों को, चाहे शिड्यूल्स कोई भी हों, इसके दायरे में लाने के लिये न्यूनतम मजदूरी कानून में संशोधन और कानूनी न्यूयनतम मजदूरी का निर्धारण 10,000 रुपये से कम नहीं।

✶ बोनस एवं प्रोविडेंट फण्ड का भुगतान और पात्रता की सभी ऊपरी सीमाओं को हटाओं, ग्रेच्यूटी की मात्रा को बढ़ाओ।

✶ सभी के लिये आश्वासित पेंशन।

✶ 45 दिन के अंदर ट्रेड यूयिनों का अनिवार्य पंजीकरण और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की कन्वेंशन संख्या 87 और 98 की तत्काल अभिपुष्टि (रेटिफिकेशन)।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने उपरोक्त मांगों के समर्थन के लिये 28 फरवरी 2012 को देशव्यापी आम हड़ताल करने का फैसला किया है।

अत: सभी मजदूर संगठनों, मेहनकश आवाम, खुदरा कारोबारी आदि सभी से अनुरोध हैं कि राज्यों की राजधानियों और औद्योगिक केन्द्रों में विभिन्न किस्म की कार्यवाहियों जैसे की सत्याग्रह / जेल भरो, जन-धरने आदि के जरिये 28 फरवरी 2011 को राष्ट्र व्यापी आंदोलन करें।

23 जनवरी 'देश प्रेम दिवस' घोषित करो

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस घोषित करने के लिये अपना जन आंदोलन जारी रखेगा तथा कार्यक्रमों के तहत आंदोलन करेगा।

1. अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता सभी राज्यों के विधानसभा के समक्ष के प्रदर्शन करेगा तथा सरकार पर 'देश प्रेम दिवस' का प्रस्ताव पारित करने के लिये दबाव बनायेगा।

2. केन्द्रीय मंत्रियों को उनके राज्यों के निजी निवास पर विज्ञप्ति सौंपेगा।

सभी से अपील हैं कि

ॐ 23 जनवरी नेताजी जन्मदिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में पालन करें।

ॐ अपने-अपने घर, मोहल्ले में सभाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रैली, नेताजी के बैज धारण करके, त्यौहारों की भांति अपने घर में दीपक जलाकर प्रकाश आदि करके नेताजी का जन्मदिन मनाये।